

पत्रांक: २०१६/आयुक्त राज्य कर/उत्तरार्थ/फार्म-अनु०/2017-18/आ०धो०प०/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे०दून

कार्यालय—आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड  
(फार्म-अनुभाग)  
देहरादून ::दिनांक:: ३० अगस्त, 2017

### विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली-2005 के नियम-30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म-16 जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम-30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ :—

क्र० स०	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्म/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्म/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री रजतदीप ओवरसीज प्राइलि०, प्लॉट नम्बर-16, सेक्टर-3 सिड्कुल, हरिद्वार। टिन-05006370015	प्रारूप- XVI (01)	<u>U.K.VAT-M 2012</u> <b>7544909</b>	खोने के कारण

  
(विपिन चन्द्र)  
अपर आयुक्त राज्य कर,  
मुख्यालय, देहरादून।

प०प०संख्या /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1--- संयुक्त निदेशक, राजकीय लिथो प्रेस, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि इसे अगले गजट में प्रकाशित कराते हुए इसकी 50 प्रतियाँ कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखण्ड, जोगीवाला मसूरी बाईपास रोड, देहरादून को प्राप्त कराने का कष्ट करें।
- 2--- अपर आयुक्त राज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रुद्रपुर जौन।
- 3--- संयुक्त आयुक्त राज्य कर (कार्य०/प्रव०) देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त पत्र की प्रतियाँ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों/सचिव इकाईयों को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 4--- उपायुक्त (एस०टी०एफ०) वाणि०कर, देहरादून/हरिद्वार/रुद्रपुर एवं काशीपुर।
- 5--- श्रीमति नीलम ध्यानी उपायुक्त, राज्य कर/ web.Information officer को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

अपर आयुक्त राज्य कर,  
मुख्यालय, देहरादून।